न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—533 सन् 2005

मु0 अनिता कुंवर...वादी।

बनाम

सुनिल सिंह वगैरह.................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 25.09.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 09.06.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 19 गीता देवी की मृत्यु अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है, जिन्हें न्यायाहित में मृत प्रतिवादी सं0 19 गीता देवी का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन किया है कि वादी की ओर से दाखिल उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं है, बल्कि काबिले खारिज के है। वादी रहरह कर प्रतिवादी सं0 19 के मृत्यु के संबंध में विरोधाभास बयान देती चली आ रही है। अंततः वादी की गलत मंशा इस तथ्य से भी झलकती है कि वादी ने स्वय सवाल दिनांक 23.11.2019 के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया है कि मृत प्रतिवादी के वारिसानों को प्रतिस्थापित करने वास्ते एक समय दी जाए। ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा लगभग ढाई साल के पश्चात् मृत प्रतिवादी सं0 19 के वारिसानों को प्रतिस्थापित करने वास्ते न्यायालय में सवाल बिना विलंब माफी एवं बिना एबेटमेंट सेटेसाईट का दाखिल करना सर्वथा नाजायज गैर कानूनी है जो कानूनी पोषणीय नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 09.06.2022 को साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 19 के रूप में गीता देवी थी जिनकी मृत्यु अपने

कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 19 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसान जो आवेदन में दिया गया है उनको प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.06.2022 को 1000/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।